

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 272/2020-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

1. हरि मुण्डा वो 2. टुनेश्वर मुण्डा
हन्ना गुड़िया

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख सहित

01.12.20

आदेश

आवेदक 1. हरि मुण्डा वो 2. टुनेश्वर मुण्डा दानों पिता स्व० मंगरा मुण्डा ग्राम-मुरहू, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने हन्ना गुड़िया पिता विरसा गुड़िया ग्राम-ओस्केया, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

| ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा (एकड़ में) |
|-------|----------|----------|-----------|-----------------|
| मुरहू | 44 | 85 | 1307 | 0.10 |

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 030517 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 807 दिनांक 01.12.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम सुखलाल मुण्डा वैगरह हैं। पंजी II के अनुसार शनिचरण मुण्डा वैगरह के नाम भूमि का रकबा 4.08 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 2.04 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 28314.00 (अठारह हजार तीन सौ चौदह) विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 1.94 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. हरि मुण्डा वो 2. टुनेश्वर मुण्डा दानों पिता स्व० मंगरा मुण्डा को हन्ना गुड़िया पिता विरसा गुड़िया के साथ ग्राम मुरहू के खाता सं० 85 खेसरा संख्या 1307 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 28314.00 (अठारह हजार तीन सौ चौदह) रू० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।